अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मुंगेर द्वारा दिनांक 25.06.2014 को प्रखंड कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमालपुर का किये गये औचक निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी :-

उपस्थिति :-

1. **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमालपुर :-** अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 25.06.2014 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमालपुर के किए गए औचक निरीक्षण के क्रम में डॉ0 जगत प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी निरीक्षण अवधि में अल्प समय पश्चात् उपस्थित हुए। साथ ही डॉ0 एल0बी0 गुप्ता, जो दिनांक 24.06.2014 तक अवकाश पर थे तथा अवकाश समाप्ति के पश्चात् भी कार्यालय में निरीक्षण की तिथि दिनांक 25.06.2014 को अनाधिकृत अनुपस्थित पाए गए। इसके अतिरिक्त अल्ट्रासाउण्ड के चिकित्सक डॉ0 एस0के0 झा (सदर अस्पताल, मुंगेर से प्रतिनियुक्त) भी दिनांक 25.06.14 को अनाधिकृत अनुपस्थित पाए गए। उपरोक्त के निमित्त प्रभारी पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमालपुर निरीक्षण अवधि में अकारण विलम्ब से उपस्थित होने तथा डॉ0 एल0बी0 गुप्ता एवं डॉ0 एस0के0 झा, चिकित्सक द्वारा दिनांक 25.06.2014 के अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण सिविल सर्जन, मुंगेर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे कि क्यों नहीं इस कृत्य के लिए आपके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जाए?

   निरीक्षण के दौरान बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक छोटा एवं एक 102 (बड़ा) एम्बुलेन्स क्रियाशील है। साथ ही 16 स्वास्थ्य उपकेन्द्र में प्रति 02 अर्थात् कुल 32 ए0एन0एम0 कार्यरत् हैं एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 04 ए0एन0एम0 पदस्थापित हैं।

   निरीक्षण के क्रम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इनडोर एवं आउटडोर मरीजों के समानुपात में दवाओं की कमी है। इस निमित्त सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेश दिया गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार को दवाओं की उपलब्धता हेतु पत्राचार करेंगे।

   निरीक्षण अवधि में लोगों द्वारा बताया गया कि अस्पताल में भर्त्ती रोगियों को भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इस संबंध में सिविल सर्जन, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमालपुर में भर्ती रोगियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाए।

2. **आर0टी0पी0एस0-** प्रखंड कार्यालय, जमालपुर अन्तर्गत आर0टी0पी0एस0 कॉउन्टर के माध्यम से दिनांक 01.04.2014 से 25.06.2014 तक दी गई सेवाओं की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि दाखिल-खारिज के प्राप्त 402 आवेदनों में से 17 आवेदन समय सीमा पार (Expired) पाए गए तथा 155 आवेदन समय सीमा के अन्दर लंबित है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता-सह-अपीलीय प्राधिकारी, RTPS समय सीमा पार (Expired) आवेदनों की सूक्ष्मतापूर्वक जाँच कर यथा आवश्यक suo-moto अपील दायर कर नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे।

3. प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध समय सीमा पश्चात् अस्वीकृत किए आवेदनों के समीक्षोपरान्त पाया गया कि जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र के कुल 26 आवेदनों सहित एल0पी0सी0 के 01, दाखिल-खारिज के 08, इंदरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 01 तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के 03 आवेदनों को मिलाकर कुल 39 आवेदन अस्वीकृत किए गए है, जिसकी जाँच आवश्यक है। इस निमित्त श्री रवीन्द्र नाथ, प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त-सह-वरीय पदाधिकारी, प्रखंड-सह-अंचल, जमालपुर को निदेश दिया जाता है कि समय सीमा पश्चात् अस्वीकृत किए गए आवेदनों की गहन जाँच एक पक्ष में करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएँगे।

4. लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं के प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विधवा पेंशन के सामान्य घटक अन्तर्गत 763 पेंशनधारियों के बीच 4594500/- रू0 का वितरण किया गया है तथा शेष वंचित लाभुकों

के बीच वितरण हेतु 2151900/- रू0 राशि की आवश्यकता प्रतिवेदित की गई है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन के सामान्य घटक अन्तर्गत व्ययोपरान्त 1878200/-रू0, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन के विशेष घटक अन्तर्गत 500000/-रू0, लक्ष्मीबाई पेंशन के सामान्य घटक अन्तर्गत 1138400/-रू0 तथा लक्ष्मीबाई पेंशन के विशेष घटक अन्तर्गत 200000/- रू0 अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर आवश्यक राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आवंटन की अनुपलब्धता के दृष्टिगत् विभाग से आवंटन की मांग करेंगे।

5. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर-सह-अपीलीय प्राधिकार, सामाजिक सुरक्षा को निदेश दिया जाता है कि नियमित रूप से RTPS अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं का साप्ताहिक समीक्षा करेंगे तथा कार्य में अनावश्यक गतिरोध अथवा विलम्ब करने वाले दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

6- विभाग के प्रदत्त निदेशानुसार आर0टी0पी0एस0 में प्राप्त आवेदन की सामान्य अस्वीकृति दर 2% से अधिक होने पर सरकार द्वारा इसकी गहन जाँच करने का निदेश है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में सामान्य अस्वीकृति दर 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7- **इंदिरा आवास योजना :-** निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर द्वारा उपस्थापित वित्तीय वर्ष 2011-12 में पाटम पूर्वी पंचायत के इंदिरा आवास के चयनित लाभुकों की सूची के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सूची में प्रतीक्षा सूची के क्रमानुसार इंदिरा आवास योजना का लाभ न देकर बीच में क्रम को तोड़ते हुए इच्छानुसार लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है। पृच्छा करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। यह स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय एवं हास्यास्पद है। स्पष्ट है कि सरकार की इतनी महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना में अहर्तित लाभुकों को योजना का लाभ न देकर योजना के मूल उद्देश्य को मूर्त्त रूप नहीं दिए जाने का प्रयास किया गया है। प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त के संबंध में सम्यक जाँच कर एक पक्ष के अन्दर समन्तव्य प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

8- **रोकड़ पंजी :-** रोकड़ पंजी के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन पारिवारिक लाभ योजना का 15915234/-/-रू0, कल्याण एवं छात्रवृत्ति मद में 3217936/-रू0, पंचायत समिति एकादश बारहवां वित्त आयोग का 7005361/-रू0 तथा पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास(BRGF) मद की 2130300 रू0 अवशेष दर्शाया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि सरकारी योजनाओं की राशि का व्यय समयानुसार विकास कार्यों में नहीं किया गया है। विभिन्न मदों की राशि तो कई वर्षो से रोकड़ पंजी में पड़ी हुई है। प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी रोकड़ पंजी से संबंधित सभी बिन्दुओं की सूक्ष्मतापूर्वक जाँच कर समन्तव्य अपना जाँच प्रतिवेदन एक पक्ष में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक-19-04/14-1745/गो0, दिनांक 27/06/2014

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सिविल सर्जन, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/श्री रवीन्द्र नाथ, प्रभारी बंदोवस्त पदाधिकारी-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जमालपुर प्रखंड-सह-अंचल/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर/अंचलाधिकारी, जमालपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जमालपुर/आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अमरेन्द्र 26.6.14

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।